बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 4

शनिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1938 (श.) / 18 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 11

1.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	02
2.	जल संसाधन विभाग	-	-	01
3.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	01
4.	समाज कल्याण विभाग	-	-	02
5.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	02
6.	अनु. जाति / अनु. जनजाति कल्याण विभाग	-	-	02
7.	परिवहन विभाग	-	-	01
			कुल योग –	11

गवाहों को सुरक्षा

125. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला बंजरीया प्रखंड के ग्राम फलवार, थाना-बंजरीया, कांड सं.-530/16 (तुरकौलिया), दिनांक 31.10.2016 को अभियुक्तों द्वारा हीरामति देवी, पति बलिस्टर साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड का पर्यवेक्षण दिनांक 24.11.2016 को किया गया जिसमें सभी अभियुक्तों के साथ 160-170 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर हरवे-हथियार से लैस होकर किए गए कांड को सत्य पाया गया तथा अविलंब गिरफ्तार करने तथा गिरफ्तार नहीं होने पर वारंट/कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मोतिहारी द्वारा दिया गया परन्तु अभी तक सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कुर्की/वारंट नहीं निकाला गया है जिससे अभियुक्तगण कांड के वादी समेत गवाहों को जान से मारने की धमकी दे रही है, जिससे भय का वातावरण बना हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कांड के सभी अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से गरीब वादी समेत गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर अभियुक्तगण को सजा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बांध टूटने का खतरा

126. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नदियों में बने करीब दो दर्जन बड़े पुलों की तकनीकी गड़बड़ी के कारण तटबंधों पर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कहीं पुलों में पर्याप्त वाटर तो कहीं गाइड बांध नहीं होने से सभी तटबंधों में सीपेज की समस्या पैदा हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी तटबंधों, जिनपर दबाव बढ़ा हुआ है, जिन्हें टूटने का खतरा बना हुआ है, उसे रोकने की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आहर-पईन की उड़ाही

127. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत भगवानगंज प्रखंड के मोरहर नदी पर बीयर बनाने से मोकर पईन, गोखुला आहर, भुसैनचक से नदौना एवं बलियारी पईन में गाद भर गया है, जिसकी तत्काल सफाई की आवश्यकता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आहर-पईन की सफाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अपराध पर अंकुश

128. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अपराध बेलगाम है, कारोबारियों एवं सरकारी कर्मियों से रंगदारी मांगी जा रही है, जिससे उनमें दहशत का माहौल व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बार-बार नियमों में संशोधन किये जाने के बावजूद सरकार की निवेश नीति नाकाम होती जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहारशरीफ में स्वर्ण व्यवसायियों की गोली मारे जाने और बाढ़ में पेट्रोल पम्प मैनेजर की हत्या की घटनाओं में अपराधियों को ढूंढने और उसे सजा दिलाने में पुलिस विफल साबित हो रही है, जिससे वारदात को अंजाम देने में अपराधी तत्व का मनोबल बढ़ता जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण कर अपराध पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वृद्धाश्रम खोलने पर विचार

129. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम खोला जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया मात्र पांच जिलों में ही वृद्धाश्रम खुल पाए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त पांच जिलों के वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या तथा उपलब्ध सुविधाएं, प्रति वृद्ध स्वीकृत राशि से अवगत कराना चाहेंगे;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

130. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं शेखपुरा जिलों में समय पर पेंशन नहीं मिलने से वरिष्ठ लोग परेशान हैं तथा अपनी परेशानियों से संबंधित पदाधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिलों में पारिवारिक पेंशन में हो रही अनियमितता के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मामलों का उद्भेदन

131. **श्री बिनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पिछले एक वर्ष में 5 हजार से अधिक हत्याएं, बलात्कार एवं चोरी के केस विभिन्न थानों में दर्ज किये गये हैं परन्तु उनमें अभी तक 10 प्रतिशत मामलों में भी उद्भेदन नहीं किया जा सका है, यदि हां तो इसका क्या औचित्य है?

दण्डात्मक कार्रवाई

132. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सूबे में वर्षों से दलित उत्पीड़न के 6332 मामले लंबित हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन लंबित मामलों पर शीघ्र न्याय निर्णय दिलाना चाहती है तथा इन मामलों पर उदासीनता बरतने वाले सक्षम पदाधिकारी पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्लीपर बस चलवाने पर विचार

133. **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बथुआ बाजार से लाइन बाजार होते हुए मीरगंज से पटना तक प्रतिदिन प्रात: 3.15 बजे से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्लीपर बस चलाने के अभाव में पटना में 8.00 बजे पूर्वाह्न प्रतिदिन पढ़ाई हेतु आने वाले छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोपालगंज जिला के बथुआ बाजार, लाइन बाजार, मीरगंज की ओर से पटना आने वाले छात्र-छात्राओं के हित में बथुआ बाजार से पटना के लिए प्रतिदिन 3.15 बजे पूर्वाह्न में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्लीपर बस चलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

134. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मिल्लत कमिटी कब्रिस्तान (वक्फ नं.-2153) गोलकपुर, महेन्द्रू, पटना को अतिक्रमण से पूर्णरूपेण मुक्त कराने के लिए मा. उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी.नं.-12553/2013 पारित किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि न्यायालीय आदेश के बावजूद उक्त कब्रिस्तान में अशरफ एवं सत्तार नामक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ कब्रिस्तान पर काबिज हैं तथा अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके कारण जनाजा (शव) दफनाने का कार्य बाधित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को पूर्णरूप से अतिक्रमणमुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुन: संचालित कब से

135. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से 27 प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जाते थे;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकांश विद्यालयों में एकल शिक्षक पदस्थापित थे और सेवानिवृत्ति के पश्चात् विद्यालय शिक्षकविहीन होने के कारण बंद हो गए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त जिले में विभाग की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों को कबतक फिर से संचालित करना चाहती है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 18 मार्च, 2017